

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 735/2012/141(120)/XXVII(8)/2008 dated 01 July, 2012 for general information. *Aug.*

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 735/2012/141(120)/XXVII(8)/2008

Dehradun :: Dated: : 01 July, 2012
Aug.

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication in Gazette, the following amendments in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

(a) In Schedule-I, after the existing entry at serial no. 77, the following entries shall be added; namely-

“78. Candles.


79. Umbrella except garden umbrella

(b) In Schedule-II(B), after the existing entry at serial no. 142, the following entry shall be added; namely-

143. C.F.L. Bulb & Tubes.

(c) In Schedule-II(B), the existing entry at serial no. 22 shall be deleted.

(d) In Schedule-II(B), the existing entry at serial no. 117 shall be deleted.


(Radha Raturi)
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० / 2012 / 141(120) / XXVII(8) / 2008

दिनांक: देहरादून: 1 जुलाई, 2012

अधिसूचना अंगत्त

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-11(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

(क) अनुसूची-1 के क्रमांक 77 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित नयी प्रविष्टियाँ जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

"78. मोमबत्ती ।

79. छाता जिसके अन्तर्गत उद्यान छाता नहीं है।"

(ख) अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 142 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित नयी प्रविष्टियाँ जोड़ दी जायेगी; अर्थात्-

143. सी०एफ०एल० बल्ब एवं ट्यूब्स।

(ग) अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 22 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(घ) अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 117 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं० 735 / 2012 / 141(120) / XXVII(8) / 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।